

मैसर्स सर्वेश रिफ्रेक्टरीज (पी) लिमिटेड

बनाम

आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

नवम्बर 22, 2007

(अशोक भान और वी.एस. सिरपुरकर जेजे.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944-नियम, 570 और 1730 (ख ख)- निर्धारित द्वारा 'लोडॉल' को निर्माता/आपूर्तिकर्ता से खरीदा-निर्माता द्वारा शीर्षक 84.29 के तहत शुल्क का भुगतान करना-निर्धारित द्वारा मद को 84.27 शीर्षक के तहत वर्गीकृत मोडवैट क्रेडिट का दावा करना-राजस्व द्वारा क्रेडिट का इन्कार करना व जुर्माना लगाना-अभिनिर्धारित: निर्धारित मोडवैट क्रेडिट का हकदार नहीं है-निर्धारित उपभोक्ता के रूप में निर्माता द्वारा घोषित किया गया वस्तु के वर्गीकरण के शीर्षक को शीर्षक 84.29 से 84.27 में नहीं बदल सकता-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985- शुल्क शीर्षक 84.27।

अपीलार्थी/निर्धारित ने इसके निर्माता/आपूर्तिकर्ता से 'लोडॉल' खरीदा। वस्तु के लागत के तत्व में उत्पाद शुल्क शामिल है। निर्धारित द्वारा तथाकथित वस्तु के सन्दर्भ में केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944 के नियम 570 के अन्तर्गत मोडवैट क्रेडिट का दावा किया। प्राधिकरण द्वारा उक्त दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि निर्माता द्वारा वस्तु पर शुल्क का भुगतान शीर्षक 84.29 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है तथा नियम 570 शीर्षक 84.29 पर लागू नहीं है। प्राधिकरण ने नियम 1730 (बीबी) के तहत जुर्माना भी लगाया। अपील में अपीलार्थी/निर्धारित को मोडवैट क्रेडिट का हकदार माना गया। अधिकरण ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि निर्माता द्वारा वस्तु को

शीर्षक 84.29 के तहत वर्गीकृत किया है, निर्धारित उपभोक्ता के रूप में वर्गीकरण को शीर्षक 84.27 में नहीं बदल सकता। अतः यह वर्तमान अपील है।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

अपीलार्थी 'लोडॉल' के वर्गीकरण को निर्माता द्वारा घोषित शीर्षक 84.29 से शीर्षक 84.27 में नहीं बदल सकता। जहां तक मूल प्राधिकारी द्वारा लगाये गये जुर्माना का सम्बन्ध है, तो प्रकरण में जुर्माना लगाया जाने का मामला नहीं बनना पाया जाता है। अतः उक्तानुसार उसे रद्द करते हुए हटाया जाता है। [पैरा 6] [446-सी, डी,]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील सं. 1824/2002।

सीमा शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण पूर्वी पीठ, कोलकाता की अपील संख्या- ई/294/2001 में पारित निर्णय और अन्तिम आदेश संख्या ए-860-कोल/2001 दिनांक 10.09.2001 से।

राजेश कुमार, राजीव रॉय, ए.सी. प्रधान और एस.के. पत्री (प्रणब कुमार मलिक के लिए) अपीलार्थी के लिए।

वी. शेखर, पी. नरसिम्हन, प्रदीप के. दुबे और अभिज्ञा (बी.वी. बलराम दास के लिए) प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भान, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (अब सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है) (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा अपील संख्या ई-294/2001 में पारित आदेश दिनांक 10 सितंबर 2001 से व्यथित होकर, निर्धारित-अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. अपीलकर्ता ने मेसर्स एस्कॉट्स जेसीबी लिमिटेड से 'लोडॉल' खरीदा। 'लोडॉल' के लागत तत्व में 1,79,328/- रुपये का उत्पाद शुल्क शामिल था। अपीलकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में, नियम') के नियम 57Q के तहत उक्त वस्तु के संबंध में मोडवैट क्रेडिट का दावा किया।

3. चूंकि उक्त वस्तु को मेसर्स एस्कॉट्स जेसीबी लिमिटेड, निर्माता और आपूर्तिकर्ता द्वारा शीर्षक 84.29 के तहत वर्गीकृत किया गया था और उक्त शीर्षक के तहत शुल्क का भुगतान किया था। मूल प्राधिकारी, अर्थात् उप आयुक्त ने यह देखते हुए अपीलकर्ता को मोडवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी कि उक्त शीर्षक 84.29 को नियम 57Q के तहत "पूंजीगत वस्तुओं" की परिभाषा से विशेष रूप से बाहर कर दिया गया है। उप- आयुक्त ने नियम 173Q (बीबी) के तहत 50,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया।

4. अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर, आयुक्त (अपील) ने पाया कि 'लोडॉल' सामग्री प्रबंधन उपकरण का एक तात्कालिक संस्करण होने के कारण उचित रूप से शीर्षक 84.27 के अंतर्गत आएगा, न कि शीर्षक 84.29 के अंतर्गत। आगे यह देखा गया कि फोर्कलिफ्ट ट्रक या क्रेन या इसी तरह की सामग्री प्रबंधन उपकरणों को पात्र पूंजीगत सामान माना गया है। इस निष्कर्ष पर, आयुक्त (अपील) ने माना कि अपीलकर्ता मोडवैट क्रेडिट का दावा करने का हकदार होगा।

5. राजस्व ने व्यथित होकर ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की जिसमें आयुक्त (अपील) के आदेश को रद्द करके और मूल प्राधिकारी के आदेश को बहाल करके स्वीकार कर लिया गया। यह माना गया कि निर्माता के कारखाने पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा शीर्षक 84.29 के तहत 'लोडॉल' को वर्गीकृत किया

गया है। अपीलकर्ता, जो उन वस्तुओं का उपभोक्ता है, निर्माता के वर्गीकरण को 84.29 से 84.27 में परिवर्तित नहीं कर सकता।

6. ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अपरिहार्य है। हम ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि अपीलकर्ता निर्माता द्वारा घोषित 'लोडॉल' के वर्गीकरण को 84.29 से शीर्षक 84.27 में परिवर्तित नहीं करवा सकता। जहां तक मूल प्राधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का सवाल है, हमारा विचार है कि जुर्माना लगाने का मामला नहीं बनता है और तदनुसार इसे अलग रखा जाता है और हटा दिया जाता है। मूल प्राधिकारी के आदेश को बहाल करने वाले ट्रिब्यूनल के शेष आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. अपीलकर्ता के वकील ने नियमों के नियम 57Q की व्याख्या पर एक वैकल्पिक तर्क उठाया है, जिसे कारण बताओ नोटिस के जवाब में या नीचे किसी भी प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया था। इन परिस्थितियों में, हम अपीलकर्ता को यह वैकल्पिक अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं।

8. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है।

के.के.टी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिषेक कोडप (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।